दिनांक 02.09.2005 को आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल , हजारीबाग, सह–अध्यक्ष, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार , धनबाद की अध्यक्षता में कोयला भवन धनबाद के सभाकक्ष में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

सर्वप्रथम उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक–सह–उपाध्यक्ष झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया । उपस्थित सभी सदस्यों से परिचय कराया गया ।
माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपायुक्त महोदया द्वारा दिनांक 03.05.05 की बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन ।

1. बैठक में आमन्त्रित हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के पदाधिकारियों ने अपना कार्ययोजना प्रस्तुत किया ।उनलोगो द्वारा बताया गया कि विस्थापित आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी भौतिक स्थिति निम्नवत है :–

नीव स्तर	–	17 ब्लॉक
लिंटल स्तर	–	7 ब्लॉक
छत स्तर	–	6 ब्लॉक

उपस्थित पदाधिकारी ने बताया कि एकरारनामा के अनुरुप निर्घारित समय सीमा के अन्दर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायगा । सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है जिसके कारण दिनांक 02.08.2005 से 30.08.2005 तक कार्य अवरूद्व रहा, पुनः दिनांक 01.09.2005 से कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर सक्त कानूनी कारवाई की जायगी । कुछ व्यक्तियों के विरूद्व प्राथमिकी भी दर्ज की गई है एवं पुलिस की कारवाई जारी है ।

2. अग्नि एवं भू–धसान से प्रभावित गैर बी0सी0सी0एल0 परिवारों के पुनर्वास हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त भी अन्य भूमि का चयन कर अधिग्रहण किया जाना है । इसपर उपायुक्त सह उपाध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व की भाति ही चयन समिति गठित कर दी जाय, जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया । इस समिति में निम्न सदस्य होंगे ।

1. अपर समाहर्त्ता, धनबाद	–	अध्यक्ष
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद / प्रतिनिधि	–	सदस्य
3. महाप्रबंधक (पर्यावरण) भा0को0को0लि0	–	सदस्य

(१५२)

4. महाप्रबंधक (भू–सम्पदा) भा0को0को0लि0 – सदस्य

5. क्षेत्रीय निदेशक,-II सी0एम0पी0डी0आई0एल0 / प्रतिनिधि– सदस्य

6. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद – सदस्य

7. अंचल अधिकारी (सम्बन्धित अंचल से) – सदस्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि समिति यथाशीघ्र पुनर्वास हेतु अतिरिक्त स्थल का चयन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

3. प्राधिकार के कार्यालय के लिए उपस्करादि क्रय कर लिया गया है । अध्यक्ष महोदय के द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार के कार्यालय को आवश्यकतानुसार सुसज्जित कर लिया जाय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकार के कार्यालय के उपयोग के लिए दो नई छोटी स्टॉफ कार (पेट्रोल / डीजल) क्रय कर ली जाय ।

4. अग्नि एवं भू–धसान से प्रभावित गैर बी0सी0सी0एल0 परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास स्थल जाने के लिए उत्प्रेरित करने एवं अन्य कार्य के लिए गैर सरकारी संस्था के रुप में टी0एस0आर0डी0एस0, जामाडोवा, का चयन किया गया है। पर्षद द्वारा सर्व सम्मति से इसकी स्वीकृति दी गई ।

5. बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौजा बेलगड़िया में निर्माणाधीन गैर बी0सी0सी0एल0 विस्थापित परिवारों के लिए निर्मित आवासीय परिसर का नामकरण **“झरिया विहार”** रखा जाय ।

6. बैठक में चर्चा हुई कि इस प्राजेक्ट के लिए एक अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में सरकार से अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।

7. प्राधिकार के लिए अतिरिक्त भूमि का चयन / चिन्हित करने में सर्वेयर / अमीन की आवश्यकता पर विमर्श हुआ । निर्णय लिया गया की सेवा निवृत अमीन की सेवा अनुबन्ध के आधार पर ली जाय ।

8. प्राधिकार कार्यालय में प्रतिनियुक्त भा0 को0 को0 लि0 एवं माड़ा के कर्मियों के बेतनादि उनके पैतृक विभाग से ही भुगतान किया जा रहा है । सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वेतनादि में व्यय होने वाली राशि का प्राधिकार को वेतनादि में व्यय करने के लिए आवंटित राशि से समायोजन कर लिया जायगा ।

9. प्राधिकार कार्यालय के लिए सी0एम0पी0डी0आई0एल0 द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्यय विवरणी पर विस्तृत चर्चा की गई एवं इसकी स्वीकृति प्रदान की गई ।

10. प्राधिकार कार्यालय के व्यय लेखा के संबंध में विचार विमर्श किया गया । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनुरुप ही झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार में व्यय लेखा संधारित की जाय ।

(1.44)

11. कार्यालय के दैनिक व्यय के लिए एक माह में 10,000.00 (दस हजार) रूपये इम्प्रेस्ट राशि की स्वीकृति दी गई । परियोजना निदेशक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को एकबार में 1,000.00 (एक हजार) रुपये तक व्यय करने की शक्ति प्रदान की गई एवं इससे अधिक की राशि के लिए उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक से स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।

12. हुड्को द्वारा पुनर्वास एवं विकास कार्य कराने पर विस्तृत विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया की हुड्को पहले अपना आर्किटेक्चरल नक्शा के साथ सी0पी0डब्ल्यु0डी0 के अनुसूचित दर पर कार्य करने की योजना प्रस्तुत करे, इन सभी तथ्यों के साथ इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाय।

13. अग्नि एवं भू–धसान से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं विकास संबधी एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन करने में संभावित व्यय के लिए 2,00000.00 (दो लाख) रूपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई ।

अंत में धन्यबाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

मनोज कुमार
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

श्री टी0 महतो
महाप्रबंधक (पर्यावरण)
बी0सी0सी0एल0 कोयला भवन

एस. आर. घोष
श्री एस0 आर0 घोष
क्षेत्रीय निदेशक –II
सी0एम0पी0डी0आई0एल0

श्री जे0 पी0 सिंह
उपविकास आयुक्त–सह–परियोजना निदेशक
धनबाद

पार्थ भट्टाचार्य
श्री पार्थो सारथी भट्टाचार्यी
अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक
भा0को0को0लि0, कोयला भवन

2/9/2005
डा0(श्रीमती) बीला राजेश
उपायुक्त –सह– प्रबंध निदेशक
धनबाद

14.10.05
श्री एन0 एन0 पान्डेय
आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमडंल
हजारीबाग ।